संख्या-51/2019/370/ सात-न्याय -9(बजट)-2019-14(ब)/2012

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-।।
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ हेतु मानक मद 18-प्रकाशन में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जे0टी0आर0आई0/लेखा-60/पुनर्विनियोग/2018-19, दिनांक 11 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ हेतु मानक मद 18-प्रकाशन मद में रू0-3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1-जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी।

2-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3-स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

4-यह अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में निदृष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लधन नहीं होता है।

5-समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014-न्याय प्रशासन -00- 800-अन्य व्यय-00-03- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान-18-प्रकाशन'' के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक के मानक मद " 01-वेतन '' में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हंै।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-।।,)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सं0-51/2019/370(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद ।
5- न्याय अनुभाग-1 (उ0न्या0) ।
6- वित्त ई- 12 ।
7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।